

144 दण्डा ५०

आदेश पत्रक

लक्ष्मी सिंह

तक बनाम

कुम्भकराण सिंह को

आदेश का क्रमांक

सन् २०

10/12/17 14-99/2017

आदेश का क्रमांक-संख्या

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में दिखनी तारीख --सहित

1

2

3

12/10/17

लक्ष्मी सिंह के जमीन के जाकेटिंग

द्वारा सूचित किया गया है कि निम्नलिखित जमीन को लेकर उभय पक्षों में तनाव है और शांति भंग होने की आशंका है। जमीन मालिकों के द० प्र० सं० की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु अनुशंसा की है। आरंभ की है।

340 12/10/17

जमीन का विवरण

ग्राम	खता	प्लॉट	रकबा
पकना	73	67	0.57 एकड़ मै 0.28 1/2 एकड़

पौष्टी

उत्तर- सीटरी साहू
दक्षिण- विश्वनाथ साहू कोरहा
पूरब- छत्रु सिंह
पश्चिम- पी० सी० सी० रोड

अतः मैं जाकेटिंग अनु० दण्डा ० खूँटी उक्त मुक्तिपत्र से संतुष्ट होकर विवादित जमीन पर द० प्र० सं० की धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60 (साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।

उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।
दिनांक 30/10/17 को रखें।

12/10/17

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

365
30/10/11

2/12

उत्तर प्रदेश सरकार की द्वितीय पक्ष की S/C
कार्यवाही हेतु निम्नलिखित कार्यवाही 3 नवम्बर
19. XII. 2017 को (क)

07. XII. 17

12/17 प्रथम पक्ष के अधिकार व तः उत्तर प्रदेश सरकार की
कार्यवाही हेतु प्रथम ही मा समाप्त हो ने के कारण
अग्रतः कार्यवाही बंद किया जाता है

19/xii/2017